

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10197 / 1473

दिनांक :- 30.05.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सरीता मीणा [लिंक न. 10197] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, महवा, दौसा - [10306] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 04/09/2017 से 14/09/2017 तक 11 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सरीता मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक :- 30.05.19

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10197 / 1473

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, महवा, दौसा
2. कोषाधिकारी दौसा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सरीता मीणा [10197] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, महवा, दौसा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महवा।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)